No. W-02/0002/2014-DPE (WC) - GL - XIX/14
Government of India
Ministry of Heavy Industries & Public Enterprises
Department of Public Enterprises

......

Public Enterprises Bhawan
Block 14, CGO Complex,
Lodi Road, New Delhi-110003
Dated: 9th October, 2014

OFFICE MEMORANDUM

Subject:- **Board level and below Board level posts including non-unionised supervisors in Central Public Sector Enterprises (CPSEs)- Revision of scales of pay w.e.f. 01.01.2007 – Payment of IDA at revised rates-regarding.**

*****

In modification of this Department's O.M. of even No. dated 03.07.2014, the rate of DA payable to the executives and non-unionized supervisors of CPSEs (2007 pay revision) is as follows:

(a) **Date from which payable:** *01.10.2014*

(b) **Average AICPI (2001=100) for the quarter June'2014 -August' 2014**

June, 2014	246
July, 2014	252
August, 2014	253
Average of the quarter	*250.33*

(c) **Link Point:** *126.33* (as on 01.01.2007)

(d) **Increase over link point:** *124* (*250.33* minus 126.33)

(e) **Revised DA Rate w.e.f. 01.10.2014:** 98.1% [(*124* ÷126.33) x 100]

2. The above rate of DA i.e. 98.1% would be applicable in the case of IDA employees who have been allowed revised pay scales (2007) as per DPE O.M. dated 26.11.2008, 09.02.2009 & 02.04.2009.

3. All administrative Ministries/ Departments of the Government of India are requested to bring the foregoing to the notice of the CPSEs under their administrative control for necessary action at their end.

(Samsul Haque)
Under Secretary

To,

All the administrative Ministries/Departments of the Government of India.

Copy to:

1. Chief Executives of Central Public Sector Enterprises.
2. Financial Advisers in the Administrative Ministries/ Departments.
3. Department of Expenditure, E-II Branch, North Block, New Delhi.
4. The Comptroller & Auditor General of India, 9, Deen Dayal Upadhayay Marg, New Delhi.
5. NIC, DPE with the request to upload this OM on to the DPE website.

(Samsul Haque)
Under Secretary

सं. डब्ल्यू.–02/0002/2014-लोउवि(मजूरी कक्ष)-जी एल-XIX/14

भारत सरकार

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय

लोक उद्यम विभाग

लोक उद्योग भवन,
ब्लॉक नं. 14, सी. जी. ओ. काम्प्लैक्स,
लोधी रोड़, नई दिल्ली – 110 003
दिनांक: 09 अक्तूबर, 2014

<u>कार्यालय ज्ञापन</u>

विषय :- **केन्द्रीय सरकारी उद्यमों में असंघबद्ध पर्यवेक्षकों सहित निदेशक मण्डल स्तर के तथा निदेशक मण्डल स्तर से नीचे के पदों के वेतनमान में 01.01.2007 से संशोधन-संशोधित दरों पर औद्योगिक महंगाई भत्ते का भुगतान।**

इस विभाग के दिनांक 03.07.2014 के समसंख्यक कार्यालय ज्ञापन का आशोधन करते हुए केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के कार्यपालकों तथा असंघबद्ध पर्यवेक्षकों को देय महंगाई भत्ते की दरों (वेतन संशोधन, 2007) में निम्न प्रकार संशोधन कर दिया जाए:

(क) **जिस तारीख से देय है** **01.10.2014**

(ख) **जून, 2014 – अगस्त, 2014 तिमाही का अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (2001 =100) का औसत**

जून, 2014	246
जुलाई, 2014	252
अगस्त, 2014	253
तिमाही का औसत	250.33

(ग) **मूल्य सूचकांक 126.33 (दिनांक 01.01.2007 के अनुसार)**

(घ) **मूल्य सूचकांक की तुलना में वृद्धि : 124 (250.33 - 126.33)**

(ङ) **दिनांक 01.10.2014 से संशोधित महंगाई भत्ते की दर: 98.1% [(124 ÷ 126.33) x 100]**

2. उपरोक्त दर जो कि 98.1% है,औद्योगिक महंगाई भत्ता पाने वाले उन कर्मचारियों के मामले में लागू होंगी जिनके मामले में लोक उद्यम विभाग के दिनांक 26.11.2008, 09.02.2009 तथा 02.04.2009 के कार्यालय ज्ञापनों के अनुसार संशोधित वेतनमान (2007) की स्वीकृति दी गई है।

3. भारत सरकार के सभी प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि वे उपर्युक्त को आवश्यक कार्रवाई के लिए अपने प्रशासनिक नियंत्रणाधीन केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के ध्यान में ला दें।

(समसुल हक)
अवर सचिव

सेवा में,

भारत सरकार के सभी प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग।

प्रतिलिपि प्रेषित :-

1 केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के मुख्य कार्यपालक।
2 प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों के वित्तीय सलाहकार।
3 व्यय विभाग, स्था.-।। शाखा, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली।
4 भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, 9 दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली।
5 राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, लोक उद्यम विभाग को इस अनुरोध के साथ कि इस कार्यालय ज्ञापन को लोक उद्यम विभाग की वेबसाईट पर अपलोड कर दिया जाए।

(समसुल हक)
अवर सचिव